उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-14/2015/733/77-4-15-100एन./14
लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-रिट 145/77-4-15-100एन/14 दिनांक 10.02.15 द्वारा नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहे श्री यादव सिंह सम्प्रति निलम्बित द्वारा अपनी पदावधि के दौरान निर्माण कार्यों का ठेका व्यक्तियों/संस्थाओं आदि को देने में की गयी अभिकथित अनियमितताओं की जांच हेतु सेवानिवृत्त मा0 न्यायमूर्ति श्री अमर नाथ वर्मा को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग का मुख्यालय, लखनऊ एवं कैम्प कार्यालय, नौएडा, गौतमबुद्धनगर होगा।

2. तद्नुसार एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, हेतु निम्नलिखित सुविधा प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) एक सदस्यीय मा0 आयोग के अध्यक्ष/सचिव के आवास एवं कार्यालय पर एस0टी0डी0 सहित लैण्ड लाइन फोन की सुविधा प्रदान की जाती है।

(2) उपर्युक्त सुविधा के अन्तर्गत नये कनेक्शन के स्थान पर मा0 अध्यक्ष/सचिव के आवास पर लगे निजी फोन को सरकारी फोन घोषित किया जाता है, जो आयोग के गठन होने के अधिसूचना जारी होने के बाद वाले माह से अनुमन्य होगी।

(3) नियुक्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 27.01.2006 के प्राविधानों के अनुसार सचिव, मा0 आयोग को जब तक एक स्वतंत्र वाहन न उपलब्ध कराया जाय तब तक के लिए 75ली0 पेट्रोल की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त पर होने वाले व्यय का भुगतान उसी उसी मद से किया जायेगा, जिस मद से मा0 आयोग/स्टाफ को वेतन-भत्ते दिये जायेंगे।

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, पिकप भवन ए-ब्लाक, भूतल, गोमतीनगर, लखनऊ
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
3. वित्त (सामान्य)अनुभाग-1
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश पाठक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go